प्रेस विज्ञप्ति
04.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने विवाह सहायता योजना के तहत सरकारी धनराशि के फर्जी तरीके से वितरण से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में मध्य प्रदेश के सिरोंज जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शोभित त्रिपाठी को 02.09.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 03.09.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने पीएमएलए के तहत आगे की जांच के लिए 09.09.2026 तक ईडी की हिरासत प्रदान की।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत आर्थिक अपराध शाखा, भोपाल द्वारा शोभित त्रिपाठी, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जनपद पंचायत, सिरोंज तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी।

ईडी की जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पात्र बेटियों को 51,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विवाह सहायता योजना लागू की गई थी। शोभित त्रिपाठी ने वर्ष 2019 से नवंबर 2021 तक सिरोंज जनपद पंचायत के सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके संदिग्ध विवाह सहायता मामलों के संबंध में 30.18 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि स्वीकृत की और वितरित की।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि योजना के तहत धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने के लिए जाली और मनगढ़ंत आवेदन पत्रों तथा लाभार्थियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। झूठे विवरणों के आधार पर खोले गए अथवा दुरुपयोग किए गए बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित की गई और उसके तुरंत बाद कई चरणों में नकदी के रूप में धनराशि निकाल ली गई। यह भी पाया गया कि अपात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान किए गए तथा कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी लाभ दिए गए, जब सार्वजनिक विवाह प्रतिबंधित थे। इससे पहले, 03.10.2025 को ईडी द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद एवं जब्त किए गए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।